ायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

ासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
ाजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 124/2013
CMS No. : 2013/00207

-:: प्रार्थी ::-

1. मूलसिंह पुत्र माधोसिंह जातियान- राजपूत, निवासी- खेड़ा महाराजपुरा, तहसील- जैतारण, जिला- पाली।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. गोविन्दकंवर पुत्री माधवसिंह
2. चंदनकंवर पत्नी माधवसिंह जाति राजपूत निवासी खेड़ा महाराजपुरा तहसील जैतारण जिला पाली।
3. श्रीमान उपपंजीयन अधिकारी जैतारण।
4. श्रीमान तहसीलदार जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 06/03/2013

उपस्थितः- 1.श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः 28/02/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायल संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। सायल मूलसिंह को बाल्यावस्था उम्र करीब 15 वर्ष में उसकी माता ने माफिक हिन्दू रीति रिवाज, माफिक हिन्दू धर्म के विधि अनुसार परिवार,समाज,गांव तथा अन्य गांव निमाज, धाकडखाडी, घोड़ावड के मौजिज लोगो की उपस्थिति में आज से करीब 22 वर्ष पूर्व दिनांक 28.05.1991 को गोद दिया तथा माधोसिंह व उनकी पत्नी चंदनकंवर ने गोद लिया। सायल को उसके दतक पिता ने गोद में बिठाया, तिलक लगाया, साफा बन्धवा, परिवार, समाज, गांव के लोगो की उपस्थिति में गोद लेने की रस्म अदा की । परिवार, समाज, गांव के लोगो की उपस्थिति में गुड़ बांटा गया, लापसी का भोजन किया गया, इस गोद बाबत् एक गोदनामा लिखित भी 100 रूपये के स्टाम्प पेपर दिनांक 28.05.1991 को टाईप की गयी। जिस पर दतक पिता व अन्य के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान भी है। इस गोदनामा बाबत् एक लिखित भी उक्त तमाम लोगो की उपस्थिति में राव की बही में भी दिनांक 28.05.1991 को लिखी गयी। नकल गोदनामा व राव की बही की प्रविष्ठी की नकल पेश है। सरहद मौजा खेड़ा महाराजपुरा में खसरा नम्बर 203 रकबा 60-05 बीघा कृषि भूमि आयी हुई है उक्त कृषि भूमि में वर्तमान में जमाबन्दी में [illegible] के नाम 1/4 का 23/76 वां हिस्सा दर्ज है जो गलत है। खसरा नम्बर 200 [illegible]बा [illegible]02 बीघा गै.मु.बेरा खसरा नम्बर 200/218 रकबा 12-11 बीघा, [illegible] 6-12 बीघा, खसरा नम्बर 202 रकबा 13-17 बीघा, कुल रकबा 34-02 बीघा में 1/4 का 69[illegible]वां हिस्सा जमाबन्दी में गैरसायल संख्या 1 के नाम गलत इन्द्राज है। खसरा नम्बर 199 रकबा 59-19 बीघा में 1/4 हिस्से का 1/2 का 7/17 हिस्सा गैरसायल संख्या एक के नाम जमाबन्दी में गलत दर्ज है। खसरा नम्बर 225/163 रकबा 6-15 बीघा में 1/4 हिस्सा जो गैरसायल संख्या एक के नाम इन्द्राज है जो गलत है। सायल मृतक माधवसिंह का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पुत्र है जिसने माधवसिंह व उसकी पत्नी चंदनकंवर की पिछले 30 वर्षो से सेवा [illegible] करता आ रहा है। 15 वर्ष की आयु से ही उसके पास रह रहा है तथा उनके हर सुख में काम आया है, उनके परिवार में हुए खर्चो को भी स्वयं ने वहन किया है। [illegible]ल माधवसिंह के जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु बाद उनकी पत्नी गैरसायल संख्या 2 [illegible]नकंवर के साथ उनके हिस्से की भूमि काश्त करता आ रहा है। खसरा नम्बर 199 [illegible]बा 59-19 बीघा में सायल का नाम माधवसिंह के पुत्र के रूप में संवत् 2048 से [illegible]51 की जमाबन्दी में भी दर्ज है। इससे भी साबित है कि सायल मृतक माधवसिंह का [illegible]क पुत्र है। वर्तमान में सायल बी.एस.एफ. की नौकरी में पंजाब में स्थित जलालाबाद में [illegible]करी करता है। समय-समय पर आकर माधवसिंह के हिस्से की भूमि में स्वयं ही काश्त [illegible]रता है व करवाता है तथा बोयी हुई फसल को उनकी पत्नी भी देखरेख करती है। [illegible]र्तमान में उक्त कृषि भूमि में रायडा, गेहूँ आदि बोये हुए है। दिनांक 12.05.2013 को [illegible]ायल व उसकी पत्नी उनके हिस्से की बोयी फसल को देखने व पकने पर मजदूर हेतू खेत [illegible] बातचीत कर रहे थे तो वहां पर गैरसायल संख्या 1 मौके पर आयी व उन्होने यह कहा [illegible]के उक्त कृषि भूमि जो मेरे पिताजी के नाम चली आ रही थी जिसका म्युटेशन मेरे पिताजी [illegible]के मरने के बाद मे मुझ गैरसायल संख्या 1 व मेरी माता के नाम दर्ज हुआ तथा मेरी माता के नाम भी उक्त कृषि मैंने जरिए रजिस्ट्रर्ड बक्सीसनामाम के दिनांक 11.02.2013 को करवा ली तथा म्युटेशन भी जमाबन्दी में मेरे नाम दर्ज करवा लिया है उक्त भूमि में तुम्हारा कोई हक अधिकार नही है तथा अब तुम्हें काश्त नही करने दूंगी व फसल भी मैं काटकर ले जाऊंगी तब सायल ने जमाबन्दी की नकल व बक्सीसनामें की नकल प्राप्त की तो उक्त जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकार माधवसिंह जी की मृत्यु के बाद मैं गैरसायल संख्या 1 व 2 के नाम जो म्युटेशन पारित हुआ जो गलत व गैरकानूनी व सायल के हितो के विरूद्ध बेअसर है। क्योंकि माधवसिंह की मृत्यु होने पर सायल मूलसिह का भी उक्त कृषि भूमि में उसका हक अधिकार कानूनन बनता है। जो सायल द्वारा प्रस्तुत गोदनामा से मौके पर उक्त भूमि पर कब्जा काश्त से साबित है। सायल ने दिनांक 25.02.2013 को उक्त भूमि मे अपना नाम दर्ज करवाने को गैरसायलान् को कहा तो स्पष्ट इंकार करते हुए इतना ही नही सायल को काश्त नही करने व बेदखल करने की भी ऐलानिया धमकी दी। यदि गैरसायलान् अपने कृत्यो में सफल हो जाते है तो सायल अपने दतक पिता की सम्पति से वंचित हो जायेगा व अपने हक व अधिकारो से महरूम होना पड़ेगा, उसे असीम हानि होगी जिसका मूल्यांकन किसी सुरत में संभव नही होगा। इतना ही नही सायल को गैरसायलान् ने यह भी ऐलानिया धमकी दी कि उक्त कृषि भूमि में हमारा नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करेंगे व रहन रखेंगे। यदि गैरसायलानफ उक्त भूमि का बेचान, हस्तान्तरण कर दिया गया तो सायल को वाद/ प्रार्थना पत्र करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए उपरोक्त कारणो से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् पेश है। गैरसायल संख्या 1 के नाम जरिए बक्सीसनामा के म्युटेशन संख्या 349 दिनांक 20.02.2013 के जरिए पद संख्या [illegible] में वर्णित कृषि भूमि में जो नाम इन्द्राज किया है वो म्युटेशन भी गलत व [illegible]कानू[illegible] व सायल के हितो के विरूद्ध बेअसर है इसलिए उक्त म्युटेशन भी [illegible] गैरसायल संख्या 1 मात्र जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज के आधार पर अपने हिस्से से अधिक भूमि आयी है उसका बेचान अन्य व्यक्तियो के पक्ष बेचान रजिस्ट्री गैरसायल संख्या 3 के समक्ष पेश करे तो उसका पंजियन नही करे दौराने प्रार्थना पत्र क्रेता के पक्ष में बैचान रजिस्ट्री हो जाती है तो गैरसायल संख्या 4 क्रेता के पक्ष में म्युटेशन परित नही करे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे। तथ्यो, परिस्थितियो व दस्तावेजात् से सायल के पक्ष में बहुत ही मजबूत प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible] जिला-पाली

मामला बखुबी साबित है तथा मौके पर सायल का अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त से सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में है। अगर गैरसायल संख्या 1 राजस्व में दर्ज अपने गलत नाम के आधार पर उक्त भूमि का किसी अन्य को बैचान न्तरण कर देती हे या रहन रख देती है तो अपूर्णिय क्षति सायल को होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नही होगी व सायल को अपने साम्पैतिक हक अधिकारो से ंम होना पड़ेगा व विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिसको रोके जाने हेतु सायल पक्ष में व गैरसायल के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये टेस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा पेश ा। अप्रार्थी 3 व 4 बावजूद नोटिस सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय र्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर यह अभिकथन या कि पद संख्या 1 में वर्णित तमाम तथ्य बेबुनियाद एवं गलत होने से गैरसायलान स्वीकार करते है मूलसिंह को बाल्यावस्था में कभी भी हिन्दू रीति रिवाज अनुसार परिवार गांव के मौजिज व्यक्तियो के समक्ष गोद नही लिया था तथा 22 वर्ष पूर्व की तथाकथित लखापढी दिनांक 28.05.1991 अवैध व गैरकानूनी है जिस पर माधुसिंह पुत्र उगमसिंह के स्ताक्षर भी नही है तथा उक्त लिखापढी पर चंदनकंवर के हस्ताक्षर फर्जी है। चंदनकंवर पुर्ण रूप से अनपढ है तथा अपने अंगूठा निशान ही करती है तथा माधोसिंह ने कभी भी मूलसिंह को गोद में नही बिठाया था गुड़ बांटने व लापसी का भोज करने का सवाल ही पैदा नही होता। सायल का यह कथन कि गोदनामा लिखत 10 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 28.05.1991 को टाइप की गयी सरासर गलत है बल्कि उक्त स्टाम्प 10 रूपये का है तथा उस स्टाम्प की खरीद दिनांक 30.05.1991 है तथा दिनांक 28.05.1991 को लिखत की गयी है तथा हस्ताक्षर में दिनांक 02.06.1991 को लिखत की गयी है तथा हस्ताक्षर में दिनांक 02.06.1991 को लिखा गया है जिसमें भी उक्त तथ्य की सत्यता श्रीमान के सामने है। गोद लिया ही नही तो राव की बही में प्रविष्टी होने का सवाल ही पैदा नही होता इसके अलावा पुरा वाद गलत है। पद संख्या 2 पुरा गलत व बेबुनियाद होने से गैरसायलान नामंजूर करते है उक्त भूमि माधोसिंह पुत्र उगमसिंह की थी उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि हिन्दू उत्तराधिकारी के तहत उक्त भूमि चंदनकंवर पत्नी माधोसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गयी जिसको बेचने का पूर्णतः अधिकार चंदनकंवर को है इसलिए जरिए बेचान के अपनी पुत्री गोविन्दकंवर को सारी जमीन बैचान कर दी उसी अनुसार उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो पूर्ण रूप से सही व नियमानुसार है तथा वर्तमान में गोविन्दकंवर ही रेकर्डड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान में काश्त भी करती आ रही है। खसरा संख्या 199 रकबा 59 बीघा 19 बिस्वा में सायल का नाम माधूसिंहजी व उनकी पत्नि चन्दनकंवर के पुत्र के रूप में लिखा है जो सरासर गलत है। माधुसिंह ने न तो इसको गोद लिया तथा अमरसिंह व उनकी पत्नी आनंदकंवर ने न गोद दिया। बेचाननामा में गलत रूप से वल्दीयत लिखी गयी है जो दुरुस्त फरमाकर राजस्व रेकर्ड में मुलसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज किया जावे इसके लिए अलग से काउन्टर क्लेम पेश किया जा चुका है इसके अलावा मुलसिंह का उपरोक्त ... का तथ्य लिखा है जो गलत है। उक्त भूमि पर बेचाननामा के बाद गोविन्दकंवर का ही कब्जा काश्त है इसलिए बोई गयी फसल देखना व पकने पर मजदुर हेतु बात करने का सवाल ही पैदा नही होता, गोविन्दकंवर के नाम जरिए म्यूटेशन संख्या 349 दिनांक 20.02.2013 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ है जो विधि अनुसार है। सायल गैरसायल संख्या 1के पिता एवं गैरसायल संख्या 2 के पति के गोद है ही नही तो सायल के नाम दर्ज करवाने का सवाल ही पैदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
... जिला-पाली

होता तथा न ही साम्पैतिक अधिकारो से वंचित होने का सवाल पैदा होता है सायल सिंह जी संतान है तथा उनकी सम्पति में सायल का हक व अधिकार हिस्सा बराबर है प्रकार से सायल कत्तई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। गैरसायल ा 1 बोनाफाइड परचेजर है उसे अपनी सम्पति को आगे से आगे ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार है गैरसायल संख्या 1 गोविन्दकंवर का नाम बिल्कुल विधि अनुसार एवं बद्ध विक्रय विलेख के दर्ज हुआ है जिसे अपना हिस्सा बेचने से कोई कानूनन रोक नही ता। राजस्व वाद में सभी स्वामित्व खातेदार को पक्षकार बनाना जरूरी होता है इस ाय पर भी उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावे। जब सायल सिंह का कब्जा ही नहीं है तो उसे बेदखल करने का सवाल ही पैदा नही होता है तथा ही ऐलानिया धमकी देने का कोई प्रश्न ही पैदा होता है सायल आउट ऑफ पजेशन है लिए भी उक्त वाद काबिल खारिज के है। सायल ने यह प्रार्थना पत्र गैरसायल संख्या 3 4 के विरूद्ध पेश किया जो राज. सरकार के प्रतिनिधि है इनके विरूद्ध दावा व प्रार्थना त्र पेश करने से पूर्व दो माह का पूर्व नोटिस दिये जाना आवश्यक है उक्त नोटिस भी ायल द्वारा नही दिया गया व न ही धारा 80(2) सीपीसी की ईजाजत ली, इस बिनाय पर ी उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

बहस वकुलाय की राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और उस उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन निम्नानुसार है :-

(01) **प्रथम-दृष्ट्या मामला** : प्रार्थी मूलसिंह द्वारा अप्रार्थीयागण जो कि खातेदार माधवसिंह की पुत्री एवं पत्नी है, के विरूद्ध माधवसिंह के दत्तक पुत्र की हैसियत से खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् वादपत्र एवं हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में गोविन्द कंवर के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी को बाल्यावस्था में करीब 15 वर्ष की आयु में उसकी माता ने माफिक रीति रिवाज दिनांक 28.05.1991 को माधवसिंह व उनकी पत्नी चंदनकंवर को गोद दिया, जिसे उन्होने गोद स्वीकार किया था। अतः प्रार्थी दत्तक पुत्र होने के नाते मृतक माधवसिंह की आराजी का उत्तराधिकारी है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी को कभी भी गोद नही लिया गया। वादग्रस्त आराजी माधोसिंह पुत्र उगमसिंह की थी, उनकी मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि हिन्दू उत्तराधिकार के तहत चंदनकंवर पत्नी माधोसिंह के नाम दर्ज हुई। तथा चंदन कंवर द्वारा जरिए बेचान सम्पूर्ण आराजी गोविन्द कंवर को बेचान कर दी। जिसकी वर्तमान में गोविन्द कंवर रेकर्डड काबिज खातेदार है। अतः वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है।

चूंकि उपलब्ध दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीया गोविन्द कंवर वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में अभिलिखित खातेदार है तथा उसे यह भूमि पंजीकृत विलेख से प्राप्त हुई है। प्रार्थी माधोसिंह का गोद पुत्र है या नही ? इस बिन्दु पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना तथा वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर टिप्पणी किए बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित होना साबित नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested

(02) **सुविधा का संतुलन** :- बिन्दू संख्या 1 प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित हुआ है साथ ही हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा के आदेश से तहसीलदार जैतारण से वादग्रस्त आराजी की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पर मौका अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त है तथा भू अभिलेख में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

दकंवर के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में किस रूप में उसके उपयोग एवं ेग में है। जिससे कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित माना जा सके। अतः बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नही होता है।

) अपूर्णनीय **क्षति** :– पूर्व विवेचित बिन्दु संख्या 01 एवं 02 के विवेचन से यह स्पष्ट है वादग्रस्त आराजी के संबंध में अधिकार अभिलेख में अप्रार्थीया गोविन्द कंवर भिलिखित खातेदार दर्ज है। अतः अपूर्णीय क्षति भी इन्हे ही होना संभावित है। प्रार्थी द्वारा सा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है तथा न ही प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के क्ष में निहित होना पाया गया है जिससे कि यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि दि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की गई तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी। तः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि ार्थी/वादी का प्रार्थना–पत्र सारहीन होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं चित है।

–:: *आदेश* ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा, 212 राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:42 IST
Reason: SelfAttested